

PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

मंगलवार

दिनांक :- 12.09.2017

शांति भंग करने के 11 आरोपी गिरफ्तार :-

मुकेश कुमार उप निरीक्षक प्रोबे0 थाना मानटाउन स0मा0 ने श्री धर्मराज पुत्र जीवन सिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल नि0 अडूदा थाना सपोटरा जिला करौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार धर्मेन्द्र कुमार हैड कानि0 359 ने जसराम उफ तोता पुत्र सीताराम उम्र 20 साल जाति कुम्हार निवासी रवांजना इंगर थाना रवांजना इंगरको शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार रामसहाय स0उ0नि0 थाना सूरवाल ने श्री मकसूद पुत्र श्री पीरु खां मुस0 निवासी सूरवाल थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार भरतलाल हैड कानि0 थाना चौथ का बरवाडा ने प्रेमचन्द उर्फ गाज्या पुत्र श्री गुदामी लाल जाति कंजर उम्र 48 साल निवासी चौथ का बरवाडा थाना चौथ का बरवाडा सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार दशरथ लाल स0उ0नि0 थाना बौली ने रामजीलाल पुत्र कल्याणमल उम्र 40 साल जाति रैगर निवासी रवासा थाना बौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार राधेश्याम स0उ0नि0 थाना मलारना डुंगर ने 1- हीरालाल पुत्र देवीराम उम्र 30 साल 2- संतोष पुत्र अमरलाल उम्र 33 साल जातियान कोली निवासी खण्डार थाना खण्डार को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार अतर सिंह हैडक कानि029 थाना मलारना डुंगर ने गुलशेर खान पुत्र छीतर खां उम्र 45 साल 2- ईदरिश खान पुत्र छीतर खां उम्र 35 साल जातियान गदी मुसलमान निवासीयान शेषा थाना मलारना डुंगर जिला स0मा0को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार रामावतार स0उ0नि0 थाना मानटाउन ने 01- श्री रवि पुत्र श्री रामराज जाति मीणा उम्र 19 साल निवासी मलारना चौड थाना मलारना डुंगर हाल चकचैनुपरा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर 02- पारस पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति मीणा उम्र 20 साल निवासी खानुपर थाना डूंडी गाडरवाड जिला झालावाड को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर उत्पात मचाते 02 आरोपी गिरफ्तार :-

मुकेश कुमार उ0नि0 प्रोबे0 थाना मानटाउन ने 01. श्री धर्मेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति यादव उम्र 22 साल नि0 खडडा कालोनी थाना मानटाउन स0मा0 02. श्री अशोक पुत्र रामनारायण जाति नायक उम्र 40 साल नि0 सीमेन्ट फैक्ट्री थाना मानटाउन स0मा0 को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जुआ खेलते 04 आरोपी गिरफ्तार :-

सलीमुदीन हैड कानि0326 थाना बाटोदा ने रूपचन्द पुत्र श्री जगन्नाथ जाति बैरवा उम्र 35 साल निवासी बैरवा ढाणी महारावण्ड 2. हंसराज पुत्र श्री केशरा जाति बैरवा उम्र 25 साल जाति बैरवा ढाणी महारावण्ड थाना बाटोदा को ग्राम महारावण्ड में ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय 52 ताश के पत्तों व 1050 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 137/17 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार घनश्याम सिंह स0उ0नि0 थाना बाटोदा ने राजेन्द्र उर्फ राजन पुत्र श्री केशरा जाति बैरवा उम्र 34 साल 2. अजीत पुत्र श्री गिराज जाति बैरवा उम्र 20 साल जाति बैरवा निवासी बैरवा की ढाणी महारावण्ड थाना बाटोदा को ग्राम महारावण्ड में ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय 52 ताश के पत्तों व 1020 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 138/17 दर्ज किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार :-

सुभाष मिश्रा आर0पी0एस वृत्ताधिकारी शहर ने अपरहण कर नाबालिग से बलात्कार का आरोपी रिंकू पुत्र श्री रामकरण जाति मीना उम्र 20 साल नि0 जादेशवर थाना मानपुर जिला श्योपुर एम0पी0 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसको न्यायालय ने पाँच दिन का पीसी रिमाण्ड दिया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री रामजीलाल जंगम निवासी रैल्वे कॉलोनी स0मा0 ने आरोपी के विरुद्ध मु0न0:- 71/2017धारा 363ए366ए379ए376D ipc & 5(g)/6 pocso act व दिनांक 29.08.17 को महिला थाना पर अपरहण कर नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी थी

दो मोटरसाईकिल चोर गिरफ्तार :-

रामावतार हैड कानि0 थाना मलारना डुंगर नें 1. मेघराज पुत्र सूखराम जाति मीना उम्र 26 साल निवासी दिवाडा थाना मलारना डुंगर 2. शिवराम पुत्र रामधन जाति मीना उम्र 24 साल निवासी रामडी थाना मलारना डुंगर जिला स0मा0 को मोटरसाईकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जिसको न्यायालय ने आरोपियों को पीसी रिमाण्ड पर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध थाना पर चोरी का मु0न0:-209/2017धारा 379 ताहि में दर्ज था। जरिये मुखविर इत्तला के चोरी प्रकरण में वाञ्छित वाहन चोर को उक्त सूचना पर मय जाब्ता के गंगापुर सिटी मोड पर पहुँचे जहाँ पर उपरोक्त दोनों मोटरसाईकिल चोर बाईक सहित खडे मिले। जिससे कडाई से पूछताछ पर मोटरसाईकिल आरजे 25-एसपी-6392 हिरो स्पेलण्डर चोरी करना स्वीकार किया है। जिसकी थाना मलारना डुंगर पर अज्ञात मुल्जिम द्वारा चुरा ले जाने की प्राथमिकी श्री इन्द्रराज मीणा पुत्र श्री रामगोपाल मीणा निवासी ने दिनांक 07.09.2017 के द्वारा प्राथमिकी दर्ज गई।

स्थायी वारंटी गिरफ्तार :-

प्रदीप कुमार कानि0427 थाना गंगापुर सिटी नें फरार स्थायी वारंटी दिलशाद पुत्र मकूसद जाति मुसलमान निवासी दशहरा मैदान गंगापुरसिटी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमान एससी एसटी एक्ट न्यायालय स0मा0 के द्वारा मु0न0 15/13 धारा 420,447,448,504,120बी ता0हि0में स्थायी वारण्ट जारी किया गया था।